शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर

टर्सरी कैंसर कैयर सेन्टर

अनुसूची–एक

(नियम 4.1 देखिए)

गैर शैक्षणिक संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड + ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क	02	5200–20200+1900

टीप :– अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
टर्सरी कैंसर कैयर सेन्टर
अनुसूची–दो
(नियम 5.1 देखिए)
गैर शैक्षणिक संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क	02	02	—

टीप :– अनुसूची के कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय–समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी ।

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
टर्सरी कैंसर कैयर सेन्टर
अनुसूची–तीन
(नियम 5.2 देखिए)
गैर शैक्षणिक संवर्ग

स.क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	01	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क	18 वर्ष	01. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 02. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण–पत्र। 03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।	62 वर्ष

टीपः–

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर

टर्सरी कैंसर कैयर सेन्टर

अनुसूची–चार

(नियम 7.2 देखिए)

गैर शैक्षणिक संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर)	निरंक			

अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ.श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर

टर्सरी कैंसर कैयर सेन्टर

अनुसूची–पांच

(नियम 11.1 देखिए)

गैर शैक्षणिक संवर्ग

स.क्र.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक में उल्लेखित संवर्गो के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश। उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में। किसी व्यक्ति के अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रह सकेगा। 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा। माह के मध्य में नियुक्ति होने पर अर्जित अवकाश की गणना $2^{1/2}$ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जायेगी।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।
4	प्रसूति अवकाश	महिला गैर शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति की अवकाश की पात्रता होगी।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष गैर शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित बच्चे होने पर 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी । प्रसव के 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद से 6 महीने की अवधि में न लेने पर व्यपगत (Lapse) हो जावेगा।
6	अध्ययन अवकाश	**संवर्ग की पात्रता अनुसार** सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा महंगाई भत्ता (अन्य भत्ते नहीं) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरान्त 03 वर्ष से अधिक का समय सेवानिवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा।
7	संतान पालन अवकाश	महिला गैर शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो जयेष्ठ जीवित संतानो की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा। जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है। परन्तु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16–18 / 97–एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा।

टीप :–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा । अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रदद् करने का निर्णय ले सकेगा ।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा ।

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

(डा.श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी